N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0130 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 29/06/2024 18:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 28/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:01 बजे **Time To (समय तक):** 12:59 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/06/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 29/06/2024 18:53:04 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 3 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** HOSPITAL, MULTILEVEL ICU PRATHAM TAL ECG TECNICIAN, PERAMEDICAL BRANCH, GOVT. MATHURADAS MATHUR HOSPIT

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SURENDRA KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HARIKRISHNA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2000 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	HANIYA, OSIAN, OSIAN, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	HANIYA, OSIAN, OSIAN, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VAISHALI SHARMA		मां:BHANU MITRAA SHARMA	1. 114 A,HARIPURA VYAS COLONY,AIRFORCE JODHPUR,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA
2	PIYUSH SHARMA		पिता:NARENDRA SHARMA	1. 8/369,CHOPASNI HOUSING BOARD,JODHPUR,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of Interest (Attach separate sheet, If necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,600.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,600.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, If necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों (स्पेशल यूनिट) जोधपुर विषयः- रिश्वत मांगने वाली महिला अधिकारी पकड़ाकर कानूनी कार्यवाही करवाने हेतु। महोदया, उपरोक्त विषय के क्रम में मन सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरिकृष्ण उम्र 24 साल जाति विश्नोई निवासी हाणियां पोस्ट खिदाकौर त0 औसियां जिला जोधपुर राजस्थान (342312) का निवेदन है कि मैं माह मार्च 2024 से राजदीप एन्टरप्राईजेज (जोधपुर) के मार्फत माथुरादास माथुर चिकित्सालय में ईसीजी टेक्नीशीयन के रूप में निविदाकर्मी (ठेका पर) कार्य कर रहा हू। मेरी उपस्थिति ईसीजी टेक्नीशीयन शाखा प्रभारी श्रीमती वैशाली शर्मा (ईसीजी टेक्नीशीयन) द्वारा उपस्थिति रजिस्टर से उपस्थिति की गणना कर अपने हस्ताक्षर से जरिये ऑनलाईन और ऑफलाईन कम्पनी के कार्यालय में भेजने पर कम्पनी द्वारा निश्चित तय की गई प्रतिदिन के हिसाब से गणना कर कुल उपस्थिति की राशि मेरे खाता संख्या 924010002133661(AXIS BANK JODHPUR) में जमा करवाया जाता है। श्रीमती वैशाली शर्मा द्वारा मेरी माह अप्रेल 2024 की कुल उपस्थिती 27 दिवस की जगह 40 दिवस कि उपस्थिति भेजने पर प्रतिदिन 306 रूपये के हिसाब से कुल राशि 12216 रूपये जमा हुए। मेरी उपस्थिती से ज्यादा गई 13 दिवस की राशि 3900 होते है जिनमें से श्रीमती वैशाली शर्मा 3600 रिश्वत के रूप में मांग रही है। श्रीमती वैशाली शर्मा मेरे साथ 15-16 व्यक्ति जो निविदा पर डक्ड हॉस्पीटल में ईसीजी टेक्नीशीयन के के पद पर कार्यरत है इन सभी टेक्नीशीयन कि वास्तविक उपस्थिति से ज्यादा उपस्थिति भेजकर ज्यादा भेजी गई उपस्थिती की राशि रिश्वत के तौर पर अपने रिश्तेदार पियुष शर्मा को जो कि मेरे साथ ही ईसीजी टेक्नीशीयन के पर कार्यरत है को दिलवाकर रिश्वत वसूल कर रही है। मेरे ज्यादा उपस्थिति की राशि रिश्वत के तौर पर मांगी गई राशि 3600 रूपये नहीं देकर उन्हें रिश्वत लेते हुए या पियुष को दिलवाते हुए रंगे हाथों पकड़वाकर दोनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं। मेरी श्रीमती वैशाली शर्मा व पीयुष शर्मा ईसीजी टेक्नीशीयन से कोई व्यक्तिगत दुशमनी नहीं है और नाही कोई लेन-देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करावें। दिनांक- 26.06.2024 भवदीय -एसडी- सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरिकृष्ण गांव हाणियां पोस्ट खिदाकौर त0 औसियां 28/06/2024 (गौरव कुमार) (राकेश कच्छवाहा) सुचना सहायक जिला जोधपुर (राज.) 342312 स0प्र0 अधिकारी 28/6/24 मो0न0 कार्यवाही पुलिस दिनांक 26.06.2024 समय 12.01 पी. एम. इस समय परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरिकृष्ण उम्र 24 साल जाति विश्नोई निवासी हाणियां पोस्ट खिदाकौर त0 औसियां जिला जोधपुर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर मे मन गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की कि मैं राजदीप एन्टरप्राईजेज कम्पनी के मार्फत एमडीएम अस्पताल जोधपुर में (ठेकाकर्मी) निविदाकर्मी के तौर पर ईसीजी टेक्नीशीयन के पद पर कार्य कर रहा हूं मेरे द्वारा माह अप्रेल 2024 में 27 दिवस की ड्यूटी की गई मगर प्रभारी ईसीजी टेक्नीशीयन पेरामेडिकल शाखा के श्रीमती वैशाली शर्मा द्वारा मेरी उपस्थिति 40 दिवस की भेजने पर संबंधित राजदीप एन्टरप्राईजेज द्वारा मेरे खाते में 300 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 40 दिवस की राशि 12216 रूपये जमा करवाये कार्य दिवस के अलावा 13 दिवस की अधिक हुई जमा राशि 3900 रूपये में से 3600 रूपये श्रीमती वैशाली शर्मा रिश्वत के तौर पर मांग रही है तथा उक्त राशि श्री पियुष शर्मा ईसीजी टेक्नीशीयन (ठेकाकर्मी) के मार्फत प्राप्त करेगी। श्रीमती वैशाली शर्मा अन्य निविदाकर्मीयों की उपस्थिति वास्तविक उपस्थिति से ज्यादा उपस्थिति भेजकर, ज्यादा भेजी गई उपस्थिति की राशि रिश्वत के तौर पर श्री पियुष शर्मा के मार्फत वसूल करती है आदि तथ्यों की शिकायत पेश कर दरियाफ्त पर बताया कि हम ठेकाकर्मीयों की एक दिवस में 6 घण्टों की ड्यूटी मॉर्निंग व ईवनिंग होती है जबकि रात्रि में 12 घण्टें ड्यूटी करने पर एक दिवस की गणना की जाती है। मैनें ज्यादातर रात्रिकालीन ड्यूटी की हैं। परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों एवं दरियाफ्त से प्रथम दृष्टया मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988

(यथा संशोधित 2018) का पाया जाने से अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। एसडी/- एसडी/- सुरेन्द्र कुमार गोरधानराम 26.06.2024 उप अधीक्षक पुलिस वक्त 12.10 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री अचलाराम हैड कानि नम्बर 67 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर कार्यालय की अलमारी से निकलवाकर उसमें नया मैमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चित किया गया। परिवादी श्री सुरेन्द्रकुमार को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईश की गई तथा श्री अचलाराम हैड कानि नम्बर 67 व परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार का आपस में परिचय करवाया गया व श्री अचलाराम व श्री सुरेन्द्रकुमार के मोबाईल नम्बर आपस में आदान-प्रदान करवाये गये।तत्पश्चात वक्त 12.20 पी.एम. मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री अचलाराम हैड कानि. नम्बर 67 को सुपर्द किया जाकर श्री अचलाराम व परिवादी श्री सुरेन्द्रकुमार को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर लाने हेतु आवश्यक हिदायत देकर जरिये परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर के लिये रवाना किया गया। वक्त 01.30 पी.एम. पर श्री अचलाराम हैड कानि नम्बर 67 मय परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार के कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेषल युनिट, जोधपुर उपस्थित आये एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ शुदा सुपुर्द किया। परिवादी ने बताया कि मैं व श्री अचलराम मेरी निजी मोटरसाईकल से राजकीय मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर के मल्टीलेवल आईसीयू भूतल स्थित ई. सी.जी. टैक्नीशीयन पेरा मेडीकल शाखा की ओर पार्किंग स्थिल से जाने वाली सिढियों पर पहुचे जहां पर श्री अचलाराम हैड कानि ने डिजिटल वॉइस रिकार्डर ऑन करके मुनासिब हिदायत के साथ रिश्वती राशि मांग की वार्ता करने हेतु ईसीजी टेक्नीशीयन पेरा मेडीकल शाखा की तरफ मुझे रवाना किया तथा अचलाराम वही अपनी उपस्थिति छुपा कर खड़े रहे। मैं वहां से रवाना होकर उक्त शाखा के कार्यालय कक्ष में पहुंचा जहां पर श्रीमती वैशाली शर्मा ईसीजी टेक्नीशीयन अपनी कुर्सी पर बैठी मिली, जिनसे मैने मेरे कार्य दिवस से ज्यादा दिवस की मिली भुगतान की राशि के बारे में वार्ता करने पर श्रीमती वैशाली शर्मा ने मुझे नौकरी से निकलवाने की धमकी देते हुवे अधिक भुगतान की राशि उनके रिश्तेदार श्री पीयूष शर्मा जो कि मेरा सहकर्मी होकर एक निविदा कर्मी है को देने की बात कही, इसी दरमियान श्री पीयूष शर्मा ईसीजी टेक्नीशीयन उसी कार्यालय कक्ष मे उपस्थित आया। उन्होने भी मुझे ज्यादा मिली राशि खर्च क्यां करने की बात कहते हुवे श्रीमती वैशाली शर्मा के कहे अनुसार राशि लौटाने की बात कही आदि मांग सत्यापन की वार्ता हुई जो डिजिटल वॉइस रिकार्डर मे रिकॉर्ड हुई ताबाद मे उनके कार्यालय कक्ष से रवाना होकर श्री अचलाराम हैडकानि के पास पुनः आकर डिजिटल वॉइस रिकार्डर श्री अचलाराम को सुपुर्द किया। जिन्होने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। उपरोक्त हालात मैनें वहीं पर श्री अचलाराम को बताये है। हैड कानि. अचलाराम ने भी परिवादी के उकत कथनों की ताईद की। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर को ऑन करके परिवादी सुरेन्द्र कुमार व आरोपियां श्रीमती वैशाली शर्मा व सह आरोपी पीयूष शर्मा के मध्य हुई वार्ता को सुना गया तो परिवादी के उपरोक्त बताये गये तथ्यों की ताईद होकर आरोपिया व सह आरोपी द्वारा परिवादी से उनको अधिक हुवे 12 दिवस का भुगतान श्री पियूष शर्मा के मार्फत देने की बात कर रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि हुई। उक्त रिकॉर्ड वार्ता की आईन्दा ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात परिवादी को अग्रिम कार्यावाही हेतु आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था कर पुनः उपस्थित आने को पाबंद किया मगर परिवादी द्वारा दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था करने मे एक दिन का समय चाहने पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर दिनांक 28.06.2024 को प्रातः आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था कर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आने के लिए पाबंद कर परिवादी को कार्यालय हाजा से रूखसत किया गया। तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर का स्विच ऑफ कर सुरक्षित अलमारी में रखा गया। दिनांक 28.06.2024 वक्त 10.10 ए. एम. पूर्व से पाबन्द षुदा परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपिया श्रीमती वैशाली शर्मा व सह आरोपी पीयूष शर्मा को दी जाने वाली रिष्वति राशि 3600/रूपये की व्यवस्था कर साथ में लेकर आया हूँ। जिस पर आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम पत्र क्रमांक 1108 दिनांक 28.06.2024 जारी कर दो कार्मिको की तलबी की गई। वक्त 11.35 ए.एम. पर कार्यालय आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से दो कार्मिको के कार्यालय में उपस्थित आये। मन् गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनांे कार्मिको को अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना परिचय बारी-बारी से श्री राकेश कच्छवाहा पुत्र कृपालसिंह जाति माली आयु 38 साल निवासी नागौरी बेरा मण्डोर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मोबाईल नम्बर एवं श्री गौरव कुमार पुत्र पूर्णसिंह जाति रावल आयु 33 साल निवासी सिरवी छात्रावास के सामने मारवाड़ जक्शन, जिला पाली राज0 हाल सूचना सहायक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मोबाईल नम्बर होना बताया। जिस पर उक्त दोनो कार्मिको को बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाकर कार्यालय कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार का आपसी परिचय दोनो कार्मिकों से करवाया गया एवं परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट को पढ़कर सुनाई गई तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढ़वायी गयी व कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड जिसमें परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार व आरोपिया श्रीमती वैशाली शर्मा व सह आरोपी पीयूष शर्मा के मध्य हुई रूबरू रिष्वति राषि मांग सत्यापन की वार्ता रिकॉर्ड है उक्त वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनो

कार्मिको को सुनवाये गये। उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अग्रिम कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति देकर परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार की रिपोर्ट एवं दस्तावेजों पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने दिनांकित अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात डिजिटल वॉइस रिकार्ड मे लगा मैमोरी कार्ड सुरक्षित निकलवाकर एक लिफाफे मे डलवाया गया एवं लिफाफा मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम को सम्भलाया जाकर सुरक्षार्थ मालखना मे रखवाया गया। वक्त 11.45 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राकेश कच्छवाहा व श्री गौरव कुमार के रू-ब-रू परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार को आरोपियां श्रीमती वैशाली शर्मा व सह आरोपी पीयूष शर्मा को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश् करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरिकृष्ण उम्र 24 साल जाति विश्नोई निवासी हाणियां पोस्ट खिदाकौर तहसील औसियां जिला जोधपुर ने भारतीय मुद्रा के पांच सौ-पांच सौ रूपयें के 07 नोट व 100 रूपये का एक नोट कुल राशि 3600 रूपये पेश किये। परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबर फर्द पेशकशी में अंकित किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार हैः- 01. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 0FF088475 02. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3FG218420 03. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6MN909914 04. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 1WV887030 05. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7RN618537 06. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4MT909458 07. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7PN498349 08. 100 रूपये का एक नम्बरी नोट 5EP996706 श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उपरोक्त राशि 3600/-रूपये के नोटो पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से नोटो को अखबार के उपर रखवाकर उन पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री राकेश कच्छवाहा से लिवाई जाकर मोबाईल फोन सह परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राषि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 3600/-रूपये जो आरोपियां श्रीमती वैशाली शर्मा व सह आरोपी पीयूष शर्मा को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार के पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के 07 नोट व 100 रूपये का एक नोट कुल राशि 3600/-रूपये को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपीगण द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में से निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। टे्प पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर कर या मन् गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. पर रिश्वती राशि आदान-प्रदान होने की सूचना करें। तत्पष्चात् एक साफ डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का विधिवत घोल तैयार कर नोटों पर पाउडर लगाने वाली महिला कानि. के हाथ धुलवाकर दृष्टान्त दिया जाकर सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थनील पाउडर की क्रिया प्रक्रिया समस्त उपस्थितान को समझाईश की गई। उक्त की गई समस्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि फर्द पेश् कशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब की गई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 12.15 पी.एम पर मन् गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिष्चित कर अपने पास सुरक्षित रख गया। तत्पश्चात नोटों पर फिनोफ्थनील पाउडर लगाने वाली महिला कानि. को चौकी पर ही रहने की हिदायत देकर श्री अचलाराम हैड कानि नम्बर 67 मय परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार को परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से राजकीय मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर गेट नम्बर 02 के पास मिलने की हिदायत कर रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन् गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राकेश कच्छवाहा व श्री गौरव कुमार व ब्यूरो स्टॉफ श्री रामकिषोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्रीमती मधुमती हैड कानि नम्बर 89 श्री अर्जुनसिह कानि. नम्बर 319, प्रकाश कानि. नं. 265 मय कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉइस रिकार्डर, लेपटोप प्रिन्टर ट्रेप बाक्स व अन्य सामग्री, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली मय जरिये सरकारी वाहन टवेरा, मय चालक खम्मराम नं. 356 के कार्यालय से राजकीय मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर की तरफ रवाना होकर एमडीएम हॉस्पीटल जोधपुर के गेट नम्बर 02 के पास पहुचे जहां पर श्री अचलाराम हैड कानि नम्बर 67 मय परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार मय परिवादी की निजी मोटरसाईकिल के उपस्थित मिले। जिस पर सरकारी वाहन टवेरा एवं परिवादी की मोटरसाईकल को एक तरफ सुरक्षित स्थान पर खड़ा करवाया जाकर समस्त हमरायान के मल्टीलेवल आईसीयू भवन के अन्डर ग्राउण्ड प्रार्किंग स्थल के पास पैदल-पैदल पहुचें समस्त हमरायान को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा ब्रिफ किया गया।तत्पश्चात वक्त 12.31 पी.एम पर मन् गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार को स्वीच ऑन कर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत साथ परिवादी को आरोपिया श्रीमती वैशाली शर्मा व सह आरोपी पीयूष शर्मा से सम्पर्क कर रिश्वति राशि आदान-प्रदान करने हेतु आवश्यक हिदायत के साथ रवाना किया। श्री अचलाराम हैड कानि नम्बर 67 को आवश्यक दूरी बनाते हुए परिवादी के पीछे-पीछे रवाना कर उस पर नजर रखने की हिदायत की गई तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस एवं समस्त हमरायान भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तार मे व्यस्त हुए। वक्त वक्त 12.59 पी.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरिकृष्ण उम्र 24 वर्ष जाति विश्नोई निवासी ग्राम हाणियां पोस्ट खिन्दाकौर तहसील

औसियां जिला जोधपुर ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेर किया जिस पर मन गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस हमरा मौतबिरान एवं समस्त ब्यूरो दल को साथ लेकर राजकीय मथुरादास माथुर हॉस्पीटल जोधपुर की मल्टीलेवल आईसीयू भवन में स्थित ईसीजी टेक्नीशियन पैरामेडिकल शाखा के कक्ष में पहूंचा जहां सामने की सीट पर एक महिला एवं उसके सामने वाली कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा मिला जिसके पास ही परिवादी खड़ा मिला जिस पर परिवादी को पूर्व में दिया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा परिवादी ने कुर्सी पर बैठी महिला की ओर ईशारा कर बताया कि यह ही सुश्री वैशाली शर्मा ईसीजी टेक्नीशीयन है जिनके कहने पर मैनें इनके द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि 3600 रूपये सामने बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर कहा कि यह पियूष शर्मा ईसीजी टेक्नीशियन (ठेकाकर्मी) है। जिनको दी है श्री पियूष शर्मा ने मेरे से रिश्वती राशि 3600 रूपये प्राप्त कर गिनकर सुश्री वैशाली शर्मा ईसीजी टेक्नीशियन को सुपुर्द किये है। जो राशि सुश्री वैशाली शर्मा द्वारा अपनी टेबल पर रखे पर्स में रखे है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान का परिचय देकर वहां पर उपस्थित महिला व सामने बैठे व्यक्ति से बारी-बारी परिचय पूछा तो महिला ने अपना नाम सुश्री वैशाली शर्मा पुत्री श्री भानूमित्र शर्मा उम्र 28 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 114ए हरिपुरा व्यास कॉलोनी एयरफोर्स जोधपुर हाल ईसीजी टेक्नीशीयन पेरामेडिकल शाखा राजकीय मथुरादास माथुर हॉस्पीटल जोधपुर होना बताया तथा पास ही बैठे व्यक्ति ने अपना नाम पियूष शर्मा पुत्र श्री नरेन्द्र शर्मा उम्र 23 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी 8/369 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चौपासनी जोधपुर हाल राजदीप एन्टरप्राईजेज कम्पनी के मार्फत ईसीजी टेक्नीशीयन (ठेकाकर्मी) पेरामेडिकल शाखा राजकीय मथुरादास माथुर हॉस्पीटल जोधपुर होना बताया। जिस पर सुश्री वैशाली शर्मा, ईसीजी टेक्नीशीयन से परिवादी की ओर ईशारा कर पूछा गया कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते है जिस पर सुश्री वैशाली शर्मा ने कहा कि हां मैं इसे जानती हूं यह ईसीजी टेक्नीशियन (ठेकाकर्मी) है जो राजदीप एन्टरप्राईजेज कम्पनी के मार्फत लगा रखा है तब सुश्री वैशाली शर्मा पूछा गया कि क्या अभी आपने इनसे कोई रिश्वती राशि प्राप्त की तब सुश्री वैशाली शर्मा ने कहा कि श्री सुरेन्द्र कुमार ने अभी-अभी 3600 रूपये श्री पियूष शर्मा को दिये है जो राशि पियूष शर्मा द्वारा की गई अतिरिक्त ड्यूटी की राशि है जो संबंधित कम्पनी द्वारा अक्षर एक-दूसरे के खाता में राशि ज्यादा जमा करवा देने के कारण श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा माह अप्रैल 2024 में की गई ड्यूटी से ज्यादा राशि उनके खाते में जमा हो जाने के कारण सुरेन्द्र कुमार ने अतिरिक्त ड्यूटी राशि 3600 रूपये पियूष शर्मा के खाते में उनकी उपस्थिति से कम राशि जमा होने के कारण पियूष को दी है। जो मैनें पियूष शर्मा से प्राप्त कर अपने पर्स में रखी है। उक्त राशि पूर्व में मेरे द्वारा पियूष को उधार दी गई राशि है। जिस पर सुश्री वैशाली शर्मा से श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा माह अप्रैल 2024 में कितने दिवस कार्य किया गया तथा कितने दिवस की उपस्थिति भेजी गई सुश्री वैशाली शर्मा ने श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा माह अप्रैल 2024 में 27 दिवस का कार्य किया व उपस्थिति 40 दिवस की भेजी गई। जिस पर सुश्री वैशाली शर्मा से पूछा गया कि जब श्री सुरेन्द्र कुमार ईसीजी टेक्नीशियन ने 27 दिवस ही ड्यूटी की है तो आपने इसकी 40 दिवस की उपस्थिति क्यों भेजी गई है। जिस पर सुश्री वैशाली शर्मा चुप रही तथा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाई तत्पश्चात श्री पियूष शर्मा से परिवादी को पहचानने एवं कोई राशि परिवादी सुरेन्द्र कुमार से प्राप्त करने के बारे मे पूछने पर पियूष शर्मा द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार को अपना सहकर्मी बताते हुए परिवादी सुरेन्द्र कुमार से उधार की राशि प्राप्त करने की बात कही जिस पर पास ही खडे़ परिवादी सुरेन्द्र कुमार ने सुश्री वैशाली शर्मा व पियूष शर्मा के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि ये लोग झूठ बोल रहे है। राजकीय मथुरादास माथुर अस्पताल में राजदीप एन्प्राईजेज कम्पनी के मार्फत ईसीजी टेक्नीशियन (ठेकाकर्मी) मेरे अलावा 15-16 व्यक्ति और कार्यरत है जिन लगभग सभी ईसीजी टेक्नीशियनों(ठेकाकर्मी) की उपस्थिति वास्तविक उपस्थिति से ज्यादा उपस्थिति सुश्री वैशाली शर्मा द्वारा कम्पनी को भेजी जाकर उनके खाते में ज्यादा राशि जमा करवाई जाती है तथा राशि जमा होने के पश्चात वास्तविक उपस्थिति से जितनी ज्यादा राशि टेक्नीशियनों के खाते में जमा होती हैं वो राशि सुश्री वैशाली शर्मा ईसीजी टेक्नीशियन पेरामैडिकल शाखा मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर शाखा प्रभारी होने के नाते ठेकाकर्मी को हटाने की धमकी देते हुए उनसे रिश्वत के तौर पर अपने रिश्तेदार श्री पियूष शर्मा ईसीजी टेक्नीशियन (ठेकाकर्मी) के मार्फत प्राप्त करती हैं तथा आज इन लोगों द्वारा मेरे से मांगकर राशि प्राप्त की गई वह राशि मेरी वास्तविक उपस्थिति 27 दिवस की बजाय 40 दिवस की उपस्थिति भेजकर ज्यादा भेजी गई 13 दिवस की उपस्थिति की राशि रिश्वत के तौर पर सुश्री वैशाली शर्मा द्वारा कहने पर उनके सामने ही श्री पियूष शर्मा ईसीजी टेक्नीशियन (ठेकाकर्मी) द्वारा प्राप्त कर सुश्री वैशाली शर्मा को दिये है जो वैशाली शर्मा ने अपने टेबल पर रखे पर्स में रखें है। जिस पर रूबरू गवाहान के अग्रिम हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। टवेरा वाहन से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर टेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक डिस्पोजल के साफ गिलास निकाल कर उक्त डिस्पोजल गलासों में कार्यालय कक्ष में रखे पानी के कैम्पर में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त डिस्पोजल की दो गिलासो को भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार रंगहीन घोल में सहआरोपी श्री पियूष शर्मा ईसीजी टेक्नीशियन (ठेकाकर्मी) के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील

मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे डिस्पोजल गिलास के तैयार रंगहीन घोल में सहआरोपी श्री पियूष शर्मा ईसीजी टेक्नीशियन (ठेकाकर्मी) के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल के रंग को गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पष्चात उपरोक्त धोवन में प्रयुक्त की डिस्पोजल गिलासों को कार्यालय के डस्टबिन में डलवाया गया। तत्पश्चात टेम्प बॉक्स से दो नये डिस्पोजल गिलास निकलवा कर कार्यालय कक्ष में रखे पानी के कैम्पर में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त डिस्पोजल की दोनों गिलासो में भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपिया सुश्री वैशाली शर्मा ईसीजी टेक्नीशियन के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झाईनूमा गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल का रंग हल्का झाईनूमा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे डिस्पोजल गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपिया सुश्री वैशाली शर्मा ईसीजी टेक्नीशियन के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झाईनूमा गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल के रंग को हल्का झाईनूमा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। धोवन में काम में ली गई डिस्पोजल गलास को कार्यालय कक्ष के डस्टबिन में डलवाया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुश्री वैशाली शर्मा का पर्स चेक करने हेतु गवाह श्री राकेश कच्छवाहा को कहने पर आरोपिया सुश्री वैशाली शर्मा स्वतः ही पर्स खोलकर कहा गया कि इसमें रखी गई यही राशि श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा पियूष शर्मा को दी गई थी जो मैने अपने पर्स में रखी है। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कच्छवाहा ने आरोपिया सुश्री वैशाली शर्मा के पर्स में रखे भारतीय मुद्रा के 500-500 एवं 100-100 रूपये के बन्डल को बहार निकाल कर गिनती गई तो 500-500 रूपये के कुल 07 नोट एवं 100 रूपये का 01 नोट कुल राशि 3600 रूपये होना पाई गई जिस पर पूर्व मे मुर्तिबा फर्द पेश् कशी गवाह श्री गौरव कुमार को सुपुर्द कर फर्द में अंकित नोटों के नम्बरों का मिलान बरामदगी रिश्वती राशि के नोटों से नम्बरों से करवाने पर नोटों के नम्बर हूबहू होना पाये गये। उक्त भारतीय मुद्रा 3600/-रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात रूबरू गवाहन के टेम्प बॉक्स से एक नया डिस्पोजल गलास निकलवा कर कार्यालय कक्ष में रखे पानी के कैम्पर में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त डिस्पोजल की गिलास में भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। इसके बाद टेप बाक्स से एक कपडे़ की साफ चिन्दी निकलवाकर आरोपिया सुश्री वैशाली शर्मा के टेबल पर रखे पर्स जिसमें से रिश्वती राशि 3600 रूपये बरामद हुए उस स्थल पर दो-तीन बार रगड़-रगड़ कर तैयार घोल में डूबोया गया उक्त प्रक्रिया को दो-तीन बार किया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की दो शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया। उपरोक्त धोवन मे प्रयुक्त की गई कपड़े की चिन्दी को सुखोकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली में शिल्ड मोहर किया गया एवं थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। इसी प्रकार आरोपिया सुश्री वैशाल शर्मा के जिस पर्स से रिश्वती राशि बरामद हुई पर्स के उस भाग के संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर उस पर्स को भी प्रकरण में वजह सबूत एक कपड़े की थैली में डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात सुश्री वैशाली शर्मा की जामा तलाशी पास ही स्थित अन्य बंद कमरे में महिला हैड कानि. श्रीमती मधुमति से लिरवाई गई तो उसके पास अपनी स्कूटी की चाबी पहने हुए कुछ आभूषण एवं एक आई 13 फोन बरंग नेवी ब्ल्यू जिसमें एक जीओ कम्पनी की सिम नम्बर , लगी हुई है। उक्त मोबाईल आरोपिया सुश्री वैशाली शर्मा के पास रहने दिया गया एवं स्कूटी की चाबी एवं पहने हुए आभूषण उसके कहे अनुसार उसके पिता श्री भानूमित्र शर्मा को संभलाये गये। इसी प्रकार सह आरोपी श्री पियूष शर्मा की जामा तलाशी गवाह श्री गौरव कुमार से लिरवाई गई तो उसके पास अपनी स्कूटी की चाबी, 240 रूपये नकद एवं एक ओपो कम्पनी का डयूल सिम का मोबाईल बरंग ब्लेक कलर जिसमें एक जीओ कम्पनी की एक सिम लगी हुई जिसके मोबाईल नम्बर
लगी हुई है। उक्त मोबाईल सहआरोपी पियूष शर्मा के पास रहने दिया गया एवं स्कूटी की चाबी एवं 240 रूपये नकद को

उसके कहे अनुसार उसके माता जी श्रीमती प्रेमलता शर्मा को संभलाये गये। तत्पश्चात सुश्री वैशाली शर्मा से परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार की उपस्थिति रजिस्टर के बारे में पूछने पर उसने बताया कि ईसीजी टेक्नीशियन (ठेकाकर्मीयों) की उपस्थिति बाबत मार्निंग व ईवनिंग की उपस्थिति पंजिंका माह फरवरी 2024 से संधारित की जा रही है। एक पंजिका जिस पर ईसीजी मोर्निंग लिखा हुआ है को पृष्ठाकिंत की गई जो क्रम संख्या 01 से 05 तक भरी हुई तथा दूसरी पंजिका जिस पर ईसीजी ईंवनिंग लिखा हुआ है को पृष्ठाकिंत की गई जो क्रम संख्या 01 से 05 तक भरी हुई है। उक्त दोनों पंजिकाओं को प्रकरण में वहज सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। माह अप्रेल 2024 की रात्रि उपस्थिति पंजिंका के बारे मे सुश्री वैशाल शर्मा से पूछने पर उसने बताया कि रात्रि ड्यूटी की पंजिका श्री राजेश कुमार ठेकाकर्मी के पास है जिस पर श्री राजेश कुमार को तलब कर उनसे माह अप्रैल 2024 की रात्रि ड्यूटी उपस्थिति पंजिका चाहने पर श्री राजेश कुमार ने बताया कि रात्रि ड्यूटी की पंजिका माह जून 2024 से संधारित की जा रही है जिस पर माह जून 2024 से संधारित की जा रही रात्रि उपस्थिति का रूबरू गवाहान अवलोकन किया गया तो उक्त पंजिका माह जून 2024 से संधारित करना तथा उक्त पंजिका श्री सुरेन्द्र कुमार की उपस्थिति के रूप में हस्ताक्षर नहीं होने पाये गये। जिस पर सुश्री वैशाली शर्मा से पूछने पर बताया कि श्री सुरेन्द्र कुमार की माह अप्रैल 2024 की उपस्थिति बाबत् एक रजिस्टर नर्सिंग अधीक्षक जनाना विंग व दूसरा रजिस्टर राजदीप एन्टरप्राईजेज कम्पनी के केयर टेकर श्री जयसिंह के पास है तथा उन्हीं रजिस्टरों के आधार पर मेरे द्वारा एक रफ पेपर पर उपस्थिति अंकित कम्पनी के केयर टेकर को जरिये वाटसअप भेजी गई है। मैनें श्री सुरेन्द्र कुमार की माह अप्रैल 2024 की उपस्थिति की गणना कर रफ पेपर पर कुल उपस्थिति अकिंत कर जरिये वाट्सअप मेरे मोबाईल नम्बर से राजदीप एन्टरप्राईजेज कम्पनी के केयर टेकर श्री जयसिंह के मोबाईल नम्बर पर दिनांक 01.05.2024 को जरिये वाट्सअप भेजी गई। जिस पर आरोपिया के मोबाईल में भेजी गई वाट्सअप चैट की उपस्थिति को निकाल कर रूबरू गवाहन अवलोकन किया गया जिसमें श्री सुरेन्द्र का नाम अंकित कर नाम के आगे 40 अंकित किया गया है, जो आरोपिया अज स्वयं द्वारा परिवादी सुरेन्द्र कुमार के नाम के आगे 40 मैनें उनकी उपस्थिति के रूप में मेरे स्वयं हस्तकलमी अंकित कर कम्पनी के केयर टेकर श्री जयसिंह के उपरोक्त मोबाईल नम्बर पर भेजी गई है। जिस पर आरोपिया सुश्री वैशाली शर्मा ईसीजी टेक्नीशियन का एक आई 13 फोन बरंग नेवी ब्ल्यू जिसमें एक जीओ कम्पनी की सिम नम्बर लगी हुई है। जो उनकी जामा तलाशी में मिला था को वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया इसी प्रकार श्री पियूष शर्मा की जामा तलाशी मे मिला एक ओपो कम्पनी का डयूल सिम का मोबाईल बरंग ब्लेक कलर जिसमें एक जीओ कम्पनी की एक सिम लगी हुई जिसके मोबाईल नम्बर लगी हुई है को बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी सुरेन्द्र कुमार की उपस्थिति से संबंधित रजिस्टर जरिये तहरीर पृथक से प्राप्त किये गये एवं श्री सुरेन्द्र कुमार को संबंधित कम्पनी राजदीप एन्टरप्राईजेज द्वारा सुरेन्द्र कुमार को निविदाकर्मी के रूप में नियुक्त करने के दस्तावेज एवं उनको किये गये भुगतान से संबंधित दस्तावेज पृथक से तेहरीर दी गई एवं अस्पताल स्तर पर ठेकाकर्मियों की उपस्थिति के सत्यापन के बारे में अधीक्षक राजकीय मथुरादास माथुर हॉस्पीटल जोधपुर को जरिये फोन बार-बार बुलाने पर एवं कार्यालय में मुलाजमान भेजने पर नहीं आये व नहीं मिले जिस पर आईन्दा परिवादी की भेजी गई उपस्थिति के सत्यापन के बारे में सूचना एवं दस्तावेज प्राप्त किये जायेगे। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द हाथ धोवन एवं बरामदगी रिश्वती राशि मुर्तिब की जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 05.30 पी.एम.पर मन उप अधीक्षक पुलिस रूबरू मौतबिरान श्री राकेश कच्छवाहा एवं श्री गौरव कुमार के ब्यूरो परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एवं हालात मुर्तिब किया गया। फर्द पर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 06.10 पी.एम.पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपीया सुश्री वैशाली शर्मा पुत्री श्री भानूमित्र शर्मा उम्र 28 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 114ए हरिपुरा व्यास कॉलोनी एयरफोर्स जोधपुर हाल ईसीजी टेक्नीशियन, पैरामेडिकल शाखा राजकीय मथुरादास माथुर हॉस्पीटल जोधपुर को रूबरू मौतबिरान उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। वक्त 06.15 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री पियूष शर्मा पुत्र श्री नरेन्द्र शर्मा उम्र 23 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी 8/369 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जोधपुर हाल ईसीजी टेक्नीशियन (ठेकाकर्मी) निविदाकर्मी पैरामेडिकल शाखा राजकीय मथुरादास माथुर हॉस्पीटल जोधपुर को रूबरू मौतबिरान उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। वक्त 06.20 पी.एम.पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू मौतबिरान एवं गिरफ्तार शुदा आरोपिया सुश्री वैशाली शर्मा ईसीजी टेक्नीशीयन की उपस्थिति में उनके कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब की गई। वक्त 06.50 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार की रात्रि कालीन ड्यूटी उपस्थिति पंजिका बाबत उप अधीक्षक, चिकित्सा जनाना विंग राजकीय मथुरादास माथुर हॉस्पीटल जोधपुर से जरिये तेहरीर प्राप्त कर उसमे अंकित श्री सुरेन्द्र कुमार की माह अप्रेल 2024 के पृष्ठ पर ईसीजी टेक्नीशीयन के कॉलम में छह दिवस की उपस्थिति के रूप में उनके हस्ताक्षर किये हुए हैं, जिनका अवलोकन स्वतंत्र मौतबिरान एवं संबंधितान को करवाये जाकर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर मन् गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री अचलाराम हैड कानि नम्बर 67 मय परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार को परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से ब्यूरो चौकी स्पेशल युनिट जोधपुर के लिये रवाना कर उनके पिछ-पिछे मन् गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान एवं गिरफतार शुदा आरोपीगण सुश्री वैशाली शर्मा व सह आरोपी श्री

पियूष शर्मा मय फर्दातनुसार मालखाना आईटम एवं रिश्वति राशि एवं ट्रेप सामग्री को साथ लेकर जरिये टवेरा वाहन के राजकीय मथुरादास माथुर हॉस्पीटल जोधपुर से ब्यूरो चौकी स्पेशल युनिट जोधपुर के लिये रवाना होकर ब्यूरो चौकी पहुचां एवं फर्दातानुसार प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल, आरोपीगण सुश्री वैशाली शर्मा के दोनों हाथों के धोवन के शील्ड शुदा षीषीयां मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, व सह आरोपी श्री पियूष शर्मा के दोनों हाथों के धोवन के षील्ड षुदा षीषीयां मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, आरोपिया सुश्री वैशाली शर्मा के जिस पर्स से रिश्वत राशि बरामद हुई उसके धोवन की शील्ड शुदा शीशीयां मार्क पी-1 व पी-2, रिश्वति राशि बरामदगी स्थान के धोवन लेने में प्रयुक्त की कपड़े की चिन्दी का शील्ड शुदा कपड़े की थैली का पैकेट तथा कपडे के टुकडे में शील्ड चिट रिश्वती राशि 3600 रूपये एवं आरोपिया सुश्री वैशाली शर्मा का मोबाईल आई 13 बरंग नेवी ब्ल्यू एवं सह आरोपी श्री पियूष शर्मा का एक ओपो कम्पनी को मोबाईल बरंग ब्लेक को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. नं. 67 को सुरक्षित हालात में सम्भलाये जाकर जमा मालखाना करवाये गये। वक्त 09.35 पी.एम. पर आरोपीगण सुश्री वैशाली शर्मा व सह आरोपी श्री पियूष शर्मा का मेडिकल चैकअप एवं सुरक्षित हवालात में जमा करवाने हेतु श्रीमान मेडिकल ऑफिसर राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर पुलिस व थानाधिकारी महिला पुलिस थाना आयुक्तालय जोधपुर-पूर्व के नाम पृथक-पृथक तहरीर जारी कर श्री अयूब खान उप निरीक्षक पुलिस मय श्री अर्जुनसिह कानि. नं. 319, श्रीमती सुशीला महिला कानि., मय आरोपीगण सुश्री वैशाली शर्मा व सह आरोपी श्री पियूष शर्मा के सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8906 मय चालक श्री खम्माराम कानि. को रवाना सेटेलाईट हॉस्पिटल पावटा जोधपुर को भेजा जाकर आरोपीया सुश्री वैशाली शर्मा व सह आरोपी श्री पियूष शर्मा का मेडिकल चैकअप करवाकर आरोपी श्री पियूष शर्मा को पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात में दाखिल करवाकरश्री अर्जुनसिह कानि. नं. 319 कों आरोपी की निगरानी ड्यूटी हेतु मामुर किया गया एवं आरोपीया सुश्री वैशाली शर्मा को महिला पुलिस थाना आयुक्तालय जोधपुर-पूर्व की हवालात में दाखिल करवाकर श्रीमती सुशीला महिला कानि को निगरानी ड्यूटी हेतु मामुर किया गया। दिनांक 29.06.2024 वक्त 10.10 ए.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री राकेश कच्छवाहा व श्री गौरव कुमार की उपस्थिति आये जिनकी उपस्थिति में दिनांक 28.06.2024 को परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार एवं आरोपीया सुश्री वैशाली शर्मा व सह आरोपी श्री पियूष शर्मा के मध्य हुई वक्त रिश्वति राशि लेन-देन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के ममोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मेरी अभिरक्षा सुरक्षित रखा गया है को निकालकर मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेश कुमार कानि. नं. 219 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रुबरु मौतबिरान व परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत राशि लेन-देन रूबरू वार्तालाप तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं में परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार ने अपनी व आरोपीया सुश्री वैशाली शर्मा व सह आरोपी श्री पियूष शर्मा की आवाज की पहचान की। उक्त वार्तालापों की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगा मूल मैमोरी कॉर्ड को निकालकर कपड़े थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तीनों सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त मेमोरी कॉर्ड शील्ड पैकेट व तीनों डब सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैडकानि. 67 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 11.10 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैडकानि. 67 को पुर्व में सुपुर्द सुदा मेमोरी कार्ड का लिफाफा रूबरू मौतबिरान के मालखाना से निकलवाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड डाला गया, जिसमें परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार एवं आरोपीया सुश्री वैशाली शर्मा व सह आरोपी श्री पियूष शर्मा के मध्य दिनांक 26.06.2024 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकॉर्ड है। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेश कुमार कानि. नं. 219 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिष्वत राशि मांग सत्यापन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं में परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार ने अपनी व आरोपीया सुश्री वैशाली शर्मा व सह आरोपी श्री पियूष शर्मा की आवाज की पहचान की। उक्त वार्तालापों की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से मूल मेमोरी कार्ड निकालकर कपड़े थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तीनो सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त मूल मेमोरी कार्ड का शील्ड शुदा कपडे की थैली का पैकेट व तीनो डब सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैडकानि. 67 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से दिनांक 26.06.2024 को वक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन आरोपीया सुश्री वैशाली शर्मा ईसीजी टेक्नीशीयन प्रभारी पेरामैडिकल शाखा एवं सह आरोपी श्री पियूष शर्मा ईसीजी टेक्नीशीयन (ठेकाकर्मी) पेरामैडिकल शाखा राजकीय मथुरादास माथुर हॉस्पीटल जोधपुर द्वारा आपसी षड्यंत्र पूर्वक परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार ईसीजी टेक्नीशीयन (ठेकाकर्मी) निविदाकर्मी ईसीजी पेरामैडिकल शाखा राजकीय मथुरादास माथुर हॉस्पीटल जोधपुर की वास्तविक उपस्थिति 27 कार्य दिवस की बजाय 40 कार्य दिवस की

उपस्थिति भेजी गई जिस पर राजदीप एन्टरप्राईजेज कम्पनी द्वारा परिवादी के खाते में 300 रूपये प्रति दिवस के हिसाब से 40 दिवस का भुगतान जमा करवाने पर वास्तविक उपस्थिति से आरोपिया सुश्री वैशाली शर्मा द्वारा अधिक भेजी गई उपस्थिति का भुगतान 3600 रूपये रिश्वत के तौर पर सह आरोपी श्री पियुष शर्मा, ईसीजी टेक्नीशीयन (ठेकाकर्मी) के मार्फत मांगने की पुष्टि होने पर दिनांक 28.06.2024 को दो स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में टेªप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपिया सुश्री वैशाली शर्मा, ईसीजी टेक्नीशीयन के कहने पर सह आरोपी श्री पियूष शर्मा ईसीजी टेक्नीशीयन द्वारा आरोपिया के सामने ही परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर प्राप्त की गई एवं गिनती कर आरोपिया सुश्री वैशली शर्मा को सुपुर्द करने पर उन्होनें उक्त रिश्वती राशि को अपने टेबल पर रखे पर्स में रखी गई जहां से ब्यूरो द्वारा बरामद की जाकर आरोपीगण के दोनों हाथों का पृथक-पृथक धोवन, रिश्वती राशि बरामदगी स्थल को पर्स का विधिवत धोवन लिया जाकर शील्ड मोहर किया गया एवं आरोपीगण सुश्री वैशाली शर्मा व श्री पियूष शर्मा को उनके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा.द.स. से आगाह कर जरिये पृथक-पृथक फर्दात गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण को उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा.द.स. का प्रथम दृष्टया कारित किया जाना पाया गया है। अतः आरोपीया सुश्री वैशाली शर्मा पुत्री श्री भानु मित्रा शर्मा उम्र 28 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 114ए हरिपुरा व्यास कॉलोनी एयरफोर्स जोधपुर हाल ईसीजी टेक्नीशियन, पैरामेडिकल शाखा राजकीय मथुरादास माथुर हॉस्पीटल जोधपुर एवं सह आरोपी श्री पियूष शर्मा पुत्र श्री नरेन्द्र शर्मा उम्र 23 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी 8/369 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जोधपुर हाल ईसीजी टेक्नीशियन (ठेकाकर्मी) निविदाकर्मी पैरामेडिकल शाखा राजकीय मथुरादास माथुर हॉस्पीटल जोधपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रषटचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा.द.स. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है। भवदीय, (गोरधनराम) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गोरधनराम, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा0द0स0 में आरोपीया 1. सुश्री वैशाली शर्मा पुत्री श्री भानु मित्रा शर्मा निवासी मकान न0 114 ए हरिपुरा व्यास कालोनी एयरफोर्स जोधपुर हाल ईसीजी टेक्नीशीयन पैरामेडिकल शाखा राजकीय मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर एवं सहआरोपी 2. श्री पियूष शर्मा पुत्र श्री नरेन्द्र शर्मा निवासी 8/369 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जोधपुर हाल (ईसीजी टेक्नीशीयन) ठेकाकर्मी निविदाकर्मी पैरामेडिकल शाखा राजकीय मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री मनीष वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 517 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 673-76 दिनांक 29.06.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर । 2 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर । 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MANISH VAISHNAV **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 29/06/2024 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1996				
2	Male	2001				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)